संख्याः-27/2023 /2023/78-1-2023-11आई0टी0/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2023**

विषयः-भारत सरकार की भारतनेट योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेण्ट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। 2- परियोजना को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड के साथ दिनांक 26-10-2012 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में इस आशय का प्राविधान है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है, अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेन्सियों द्वारा राइट ऑफ वे ¼Row½ चार्जेज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इसके क्रम में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्याः-880/78-1-2013-81इले0/98, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 निर्गत किया गया है।

3- परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न स्तरों से यह अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासनादेश संख्या-666/14-2-600(51)/1999, दिनांक 19 जुलाई, 1999 तथा शासनादेश संख्या-1954/81-2-2020-600(51)/1999, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 के दृष्टिगत वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने एवं मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु वन विभाग द्वारा प्रीमियम और लीज रेण्ट की मांग की जा रही है। उक्त के दृष्टिगत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वन विभाग की भूमि पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बिछाये जाने एवं मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु भूमि के प्रीमियम और लीज रेण्ट के भुगतान से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- अतएव सम्यक् विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाया जाना तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में मोबाइल सेवायें उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल टावर्स की स्थापना इन क्षेत्रों में स्थानीय जनता, ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के हित में है, अतः श्री राज्यपाल भारत संचार निगम लिमिटेड को भारतनेट योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेण्ट के भुगतान से भारत संचार निगम लिमिटेड को छूट प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान करते हैं।

कृपया अपने स्तर से उपरोक्तानुसार सर्वसंबंधित को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/राजस्व एवं पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य महाप्रबन्धक, भारत ब्राडबैण्ड नेटवर्क लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 (पूर्वी) दूरसंचार परिवृत्त, लखनऊ।
7- मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 (पश्चिमी) दूरसंचार परिवृत्त, मेरठ।
8- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
9- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को, लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in